न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ,
मुकाम
जिला - बून्दी (राज.)

हरिशंकर बनाम राजस्थान सरकार

77/प्रा/21

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.21	वाद-पत्र/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act द्वारा वकील श्री रामबाबु शर्मा पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दि० 23.9.21 को पेश हो।	प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट नोटिस जा.
3/9/21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प कोर्ट में दिनांक 10/12/21 को पेश हो।	
10/12/21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट दुगारी में आज पेश हुई तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी हरिशंकर आ० भंवरलाल जाति काछी निवासी दुगारी का मौके पर कब्जा ख.नं. 4654/3155 के स्थान पर है। अत: प्रार्थी के खाते की भूमि ख.सं. 3155 रकबा 0.1618 की तरमीम प्रस्तावित संलग्न नक्शानुसार किया जाना उचित है। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार तरमीम दुरस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम दुगारी पटवार मण्डल दुगारी तहसील नैनवां की भूमि खसरा सं. 3155 रकबा 0.1618 ... के कब्जे	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 16:08:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में	तारीख हुक्म
	के स्थान खसरा सं. 4654/3155 के स्थान पर तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस को परिशिष्ट "अ" नाम दिया गया है जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।		

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 16:08:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner